

मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग

वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 9-3/2006/नियम/चार
प्रति,

भोपाल, दिनांक 9 जनवरी, 2012

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।

- विषय - राज्य शासन के अधीन दिनांक 1-1-2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू की जाना।
- संदर्भ - इस विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9-3/2006/नियम/चार, दिनांक 17-10-2006.

संदर्भित ज्ञाप के पैरा 2 में निर्देश हैं कि 1-1-2005 से पूर्व राज्य शासन की नियमित सेवा में नियुक्त कर्मचारियों की अन्य सेवा में 1-1-2005 के पश्चात् की गई नियुक्ति के प्रकरणों में म.प्र. सिविल सेवा पेंशन नियम 1975 लागू होंगे ।

यह सुविधा अब केन्द्रीय शासन के ऐसे कर्मचारियों के लिये भी लागू होगी, जो केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली 1972 के समान पुरानी पेंशन योजना के अन्तर्गत थे और जो केन्द्रीय शासन में दिनांक 31-12-2003 को अथवा उसके पूर्व नियुक्त हुये हों एवं उचित माध्यम से राज्य शासन की नियमित सेवा में 1-1-2005 अथवा उसके पश्चात् आये हों ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(रुद्रा.एन. मिश्रा)

सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग


पृष्ठा.क्रमांक : एफ 9-3/2006/नियम/चार

भोपाल, दिनांक 9 जनवरी, 2012

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
4. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
6. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्य मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्य प्रदेश, भोपाल
10. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर ।
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
12. महालेखाकार (लेखा और हकदारी) (आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/ भोपाल ।
13. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल /माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
14. प्रमुख सचिव/सचिव /उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
15. आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
16. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
17. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय, भोपाल
18. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
19. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
20. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
21. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
22. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष-84, मंत्रालय, भोपाल
23. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
24. सभी कोषालय अधिकारी /उप कोषालय अधिकारी
25. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवृत्ति के लिये अग्रेषित ।


(डी.के.सक्सैना)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग